न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0: 48 / 2022 तारीख रजू:—03.08.2022

पीठासीन अधिकारी :—जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस.)

1. नेहनूलाल
2. रामावतार
3. लादूराम
4. रामजस
   पिसरान बदरीलाल
5. तुलसीराम
6. रामेश्वर
   पिसरान रामनिवास
7. रामकन्या उर्फ कन्या पत्नी रामनिवास
   समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा।

—वादीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा।

—प्रतिवादी

उपस्थितः—

वकील वादीगणः— श्री अब्दुल वहाब , एडवोकेट

वकील प्रतिवादी :—पैरोकार सरकार, तहसीलदार चौथ का बरवाडा

दावा बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक 02.02.2026

—: निर्णय :—

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि—

❖ वादीगण एक ही परिवार के व्यक्ति है तथा ग्राम बलरिया तहसील चौथ का बरावाडा के रहने वाले काश्तकार पेशा व्यक्ति है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

बद्रीलाल
↓
नेहनूलाल | रामनिवास (फोत) | रामावतार | लादूराम | रामजस

रामनिवास (फोत)
↓
तुलसीराम | रामेश्वर | रामकन्या उर्फ कन्या (बेवा)

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

❖ वादीगण 1 लगायत 4 के पिता व वादी नं. 5 व 6 दादा व वादी नं. 7 के ससुर बद्रीलाल पुत्र रामरतन जाति गुर्जर निवासी बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा को ग्राम बलरिया की साबिक आराजी खसरा नं. 510 व 512 जो कि काफी बडा रकबा था, में से दिनांक 29.06.1976 को खसरा नं. 510/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं. 512/1546 रकबा 13 बिस्वा खसरा नं. 512/1547 रकबा 02 बिस्वा खसरा नं. 512/1549 रकबा 12 बिस्वा खसरा नं. 512/1556 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 4 बिघा 07 बिस्वा वाके ग्राम बलरिया में आंवटन हुआ और मुताबिक आवंटन के बद्रीलाल पुत्र रामरतन गुर्जर के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं. 181 दिनांक 27.10.1977 को तस्दीक हुआ तथा जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 मे गैर खातेदारी के इन्द्राजात हो गए। मुताबिक आवंटन के वादीगण के पूर्वज बद्रीलाल जीवित रहे तब तक वो और उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण अपनी आंवटित भूमि पर काबिज होकर अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है।

❖ अभी हाल मे हुए सेटलमेंट के दौरान साबिक खसरा नं. 510 व 512 के कई नये नं. बनाये गए है जिसमे साबिक खसरा नं. 510 के नवीन खसरा नं. 950 रकबा 1.55 है0 व साबिक खसरा नं. 512 के नवीन खसरा नं. 1018 रकबा 5.45 है0 बनाये गए है।

❖ अभी हाल मे हुए सेटलमेंट के दौरान वादीगण के कब्जे काश्त व गैर खातेदारी की साबिक भूमि खसरा नं. 510/1, 512/1546/512/1547 ,512/1549, 512/1556 का नवीन राजस्व रिकॉर्ड में कही पर भी अंकन नही किया और वादीगण की उक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर गलती की है जबकी वादीगण अपनी उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है।

❖ वादीगण नवीन खसरा नं. 950 रकबा 1.55 है0 में से 0.10 है0 पर व नवीन खसरा नं. 1018 रकबा 5.45 है0 में से 1.0000 है0 भूमि पर काबिज चले आ रहे है।

❖ वादीगण को सेटलमेंट विभाग वालों के द्वारा उनकी गैर खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिए जाने की कोई जानकारी नही थी [illegible] 23.12.2019 की तारीक पेशी के धारा 91 [illegible] के नोटिस होने पर वादीगण ने पटवारी हल्का को बताया कि वादीगण को धारा 91 एल.आर. एक्ट के नोटिस क्यों जारी किये गये है जबकि उक्त भूमि वादीगण को आंवटित भूमि है। साबिक राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदारी अंकन हो रहे है तो वादीगण क्यो और कैसे अतिक्रमी हो सकते है। इस पर पटवारी हल्का ने बताया कि यह सेटलमेंट विभाग वालों ने सिवायचक दर्ज की है इसलिए इसको सक्षम न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

में वाद दायर कर दुरूस्त करवाओ। इस पर वादीगण ने साबिक रिकॉर्ड एंव नवीन रिकॉर्ड की नकले निकलवाई तब पूर्व जानकारी हुई कि सेटलमेंट विभाग वालों ने वादीगण की आवंटित भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया है इसलिए इसको दुरूस्त करवाने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

❖ प्रतिवादी के विरूद्व दावा दायार करने से पूर्व विधिवत दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रतिवादी धारा 91 एल.आर.एक्ट कि कार्यवाही कर वादीगण को उनकी भूमि से बेदखल कर सकते है इसलिए प्रकरण एक आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रार्थना पत्र 82 (2) सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया जा रहा है।

❖ वादीगण प्रार्थी है कि दावा वादीगण बखिलाफ प्रतिवादी इस प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि –

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा सत्यमेव जयते

➢ घोषणा इस आशय कि फरमाई जावे कि वादीगण साबिक भूमि खसरा नं. 510/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं. 512/1546 रकबा 13 बिस्वा खसरा नं. 512/1547 रकबा 2 बिस्वा खसरा नं. 512/1556 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खसरा नं. 512/1549 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 4 बिघा 7 बिस्वा वाके ग्राम बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा के बने नवीन खसरा न 950 रकबा 1.55 है0 मे से 0.10 है0 व नवीन खसरा नं. 1018 रकबा 5.45 है0 में से 1.0000 है0 अर्थात कुल 1.10 है0 के खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के अधिकारी है।

➢ वदीगण के नाम नवीन खसरा नं. 950 में से 0.10 है0 खसरा नं. 1018 रकबा 5.45 है0 में से 1.0000 है0 का वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त फरमायाा जावे।

➢ प्रतिवादी को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि नवीन खसरा नं. 950 रकबा 0.10 है0 खसरा नं. 1018 रकबा 1.00 है0 कुल रकबा 1.10 है0 के सम्बंध में धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही कर वादीगण को बेदखल नही करे तथा जमाशुदा पेनल्टी वादीगण को वापस लौटाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस बनाम प्रतिवादी जारी किये जाकर उन्हे न्यायालय में तलब किया।

3. तहसीलदार चौथा का बरवाडा (प्रतिवादी) ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/340 दिनांक 17.03.2025 द्वारा सरकार की ओर से जवाब पेश किया है कि –

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

❖ वादीगण 01 लगायत 04 के पिता एवं वादी 05 एवं 06 के दादाजी तथा वादिया 07 के श्वसुर बद्रीलाल पुत्र रामरतन जाति गुर्जर निवासी बलरिया को ग्राम बलरिया के साबिक खसरा नम्बर 510 एवं 512 जो बडा नम्बर था में से दिनांक 29.06.1976 को खसरा नम्बर 510/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 512/1546 रकबा 13 बिस्वा, 512/1547 रकबा 2 बिस्वा, 512/1549 रकबा 12 बिस्वा तथा 512/1556 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा का आवंटन हुआ था। मुताबिक आवंटन के बद्रीलाल पुत्र रामरतन गुर्जर सा० देह के नाम गैर खातेदारी का नामा० संख्या 181 दिनांक 27.10.1977 को स्वीकार हुआ जिसका जमाबन्दी संवत 2037-40 में अमल किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
चौथ का बरवाड़ा

❖ दावा का मद नं० 3 स्वीकार है। भू-प्रबन्ध कार्य के दौरान साबिक खसरा नम्बर 510 एवं 512 के कई नवीन नम्बर बनाये गये है। हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 1.55 है० साबिक खसरा नम्बर 510 से तथा खसरा नम्बर 1018 रकबा 5.45 है0 साबिक खसरा नम्बर 512 से बने है।

❖ मुताबिक मिलान क्षेत्रफल व खसरा परिवर्तनशील के वादीगण के पिता बद्रीलाल पुत्र रामरतन को आंवटित साबिक खसरा नम्बर 510 व 512 के हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 1.55 है० में से 0.10 है0 तथा खसरा नम्बर 1018 रकबा 5.45 है0 में से 1.00 है० पर आवंटी बद्रीलाल के वारिसान काश्त कर रहे है। वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 950 व 1018 को भू-प्रबन्ध के दौरान सिवायचक दर्ज करते हुए किस्म गै०मु०पठार दर्ज कर दी गई है।

❖ ग्राम बलरिया के साबिक खसरा नम्बर 510 रकबा 69 बीघा 12 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 936/0.20, 938/0.19, 939/0.07, 940/0.12, 941/0.11, 942/0.25, 943/0. 13, 943/3209/0.09, 944/0.20, 945/0.01, 946/0.15, 947/2.65, 950/1.55, 951/0. 02, 952/0.25, 953/0.30, 954/0.12. 955/0.14, 956/0.12, 957/0.09, 958/0.03. 960/0.09, 966/0.17, 973/0.05, 974/0.13, 978/0.11. 979/0.15, 980/0.08, 1023/3669/0.02, 1003/4.45, 1003/3437/0.01, 1004/0.17, 1005/0.25, 1006/1:00, 1006/3387/0.37, 1007/0.06, 1008/0.45, 1009/0.10, 1010/0.03, 1011/0.18, 1012/0.22. 1013/0.09, 1014/0.53, 1015/0.18, 1016/0.72, 1017/0.68, 1021/0.07. 1024/0.26, 1025/0.20 कुल किता 49 रकबा 17.61 है[illegible]क खसरा नम्बर 512 रकबा 51 बीघा 7 बिस्वा के हाल [illegible] 1018/[illegible] 1019/0.20, 1020/0.15, 1022/0.16. 1023/0.4[illegible] 1027/[illegible], 1028/0.33. 1029/0.02, 1030/0.76, 1031/0.20, 1032/0.27. 1033/[illegible]31. 1034/0.08, 1035/0.80, 1037/0.14, 1038/1039/0.37. 1027/3446/0.38, 1040/0.35. 1041/0.43, 1042/2.75, 1043/0.11. 1044/0.13. 1045/0.16. 1046/0.60, 1047/0.41, 1048/0.17, 1049/0.51, 1051/0.30, 1090/0.55.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

1046 / 3376 / 0.35, 1045 / 3417 / 0.18, 1027 / 3370 / 0.16 कुल किता 34 रकबा 23.15 है० बना है। मुताबिक जमाबन्दी संवत 2025–28 वाके ग्राम बलरिया के खाता संख्या 184 में रामरतन पुत्र गौरीलाल जाति गुर्जर ढाणी मानपुरा के नाम 29 बीघा 17 बिस्वा खातेदारी भूमि दर्ज है। संवत 2037–40 की जमाबन्दी के खाता संख्या 380 के अनुसार बद्री पुत्र रामरतन जाति गुर्जर के नाम 4 बीघा 6 बिस्वा गैर खातेदारी भूमि दर्ज थी। तत्पश्चात नामान्तकरण संख्या 742 दिनांक 30.05.1989 द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण स्वीकार हुआ। बद्री पुत्र रामरतन गुर्जर के नाम दर्ज भूमि 4 बीघा 6 बिस्वा का वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कोई अंकन नहीं है। अतः ग्राम बलरिया के हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 1.55 है० किस्म गै०मु० पठार में से 0.10 है० तथा खसरा नम्बर 1018 रकबा 5.45 है० किस्म गै०मु० पठार में से 1.00 है० भूमि किस्म परिवर्तन के उपरान्त ही वादी को खातेदारी दिया जाना न्यायसंगत है।

4. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की जाकर विवेचित की गई–

- क्या ग्राम बलरिया के खसरा नंबर 950 रकबा 1.5 है0 में से 0.10 है0 व खसरा नंबर 1018 रकबा 5.45 है0 में से 1.0 है0 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाये ?

  –वादीगण

- क्या प्रतिवादी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वे विवादित भूमि के संबंध में 91 की कार्यवाही नहीं करे ?

  –वादीगण

- अन्य अनुतोष जो भी हो।

5. वकील वादीगण ने साक्ष्य के समर्थन में निम्नानुसार मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं–

- <u>पी0डब्ल्यू–01:–</u>रामेश्वर पुत्र रामनिवास गुर्जर, निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

- <u>पी0डब्ल्यू–02:–</u>रामप्रसाद पुत्र देवकरण गुर्जर, निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- <u>पी0डब्ल्यू–03:–</u>रामनिवास पुत्र सुवालाल मीना, निवासी बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- <u>प्रदर्श–1:–</u>जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 1 वाके ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

- **प्रदर्श–2**:–जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता संख्या 1 वाके ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **प्रदर्श–03**:–जमाबंदी संवत् 2037–2040 वाके ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **प्रदर्श–4**:–नामान्तरकरण संख्या 181 ग्राम पंचायत बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **प्रदर्श–05**:–नक्शा ट्रेस ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **प्रदर्श–06**:–तुलनात्मक मिलान क्षेत्रफल ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **प्रदर्श–07**:–नक्शा ट्रेस साबिक ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा।

- **प्रदर्श–08**:–खसरा परिवर्तनशील संवत् 2072

- **प्रदर्श–09**:–नोटिस धारा 91 एल0आर0 एक्ट

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा
सत्यमेव जयते

6. वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वादपत्र में अंकित कथनों का दोहरान किया। मैंने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

7. वकील वादीगण का कथन है कि वादीगण 1 लगायत 4 के पिता व वादी नं. 5 व 6 दादा व वादी नं. 7 के ससुर बद्रीलाल पुत्र रामरतन जाति गुर्जर निवासी बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा को ग्राम बलरिया की साबिक आराजी खसरा नं. 510 व 512 जो कि काफी बडा रकबा था, में से दिनांक 29.06.1976 को खसरा नं. 510/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा खसरा नं. 512/1546 रकबा 13 बिस्वा खसरा नं. 512/1547 रकबा 02 बिस्वा खसरा नं. 512/1549 रकबा 12 बिस्वा खसरा नं. 512/1556 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 4 बिघा 07 बिस्वा वाके ग्राम बलरिया में आंवटन हुआ और मुताबिक आवंटन के बद्रीलाल पुत्र रामरतन गुर्जर के नाम गैर खातेदारी का नामान्तकरण सं. 181 दिनांक 27.10.1977 को तस्दीक हुआ तथा जमाबन्दी संवत 2037 से [illegible] खातेदारी के इन्द्राजात हो गए, जिसकी पुष्टि **(प्रदर्श–03)** जमाबंदी संवत 2037–40 ग्राम बलरिया से होती है। मुताबिक आवंटन के वादीगण के पूर्वज [illegible] तब तक वो और उनकी मृत्यु पश्चात वादीगण अपनी आंवटित भूमि पर काबिज होकर [illegible] ने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है, जिसकी ताईद **पी0डब्ल्यू–01, पी0डब्ल्यू–02 व पी0डब्ल्यू–03** ने भी है। आवंटन के पूर्व उक्त भूमि सिवायचक बारानी–3 थी। तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा के जावब के अनुसार भूमि भू–प्रबन्ध कार्य के दौरान साबिक खसरा नम्बर 510 एवं 512 के कई नवीन नम्बर बनाये गये है। हाल खसरा नम्बर 950 रकबा 1.55 है0 साबिक खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0 मा0)

नम्बर 510 से तथा खसरा नम्बर 1018 रकबा 5.45 है0 साबिक खसरा नम्बर 512 से बने है। इस प्रकार तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने भी भू–प्रबंध विभाग द्वारा की गई गलती की पुष्टि की है एवं वादीगण को खातेदारी दी जाने की अभिशंषा की है।

8. उपरोक्त विवेचन से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:आदेश:–

वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर स्थित विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 510/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 512/1546 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 512/1547 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 512/1556 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 512/1549 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा के बने नवीन खसरा नंबर 950 रकबा 1.55 है0 में से 0.10 है0 व खसरा नंबर 1018 रकबा 5.45 है0 में से 1.00 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.10 है0 का कब्जेअनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेशित किया जाता है कि खसरा नंबर 950 रकबा 1.55 में से 0.10 है0 व खसरा नंबर 1018 रकबा 4.45 है0 में से 1.10 है0 किस्म गै0मु0 पठार की किस्म परिवर्तित करते हुए वादीगण के नाम राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के नाम आई उक्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2026 को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा, सत्यमेव जयते

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय <u>उपखण्ड अधिकारी</u> स्थान <u>चौथ का बरवाडा</u>

1. नेहनूलाल
2. रामावतार
3. लादूराम
4. रामजस
   पिसरान बदरीलाल
5. तुलसीराम
6. रामेश्वर
   पिसरान रामनिवास
7. रामकन्या उर्फ कन्या पत्नी रामनिवास
   समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान बलरिया तहसील चौथ का बरवाडा।

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

नम्बर मुकदमा 48 सन् 2022

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से **श्री अब्दुल वहाब, एडवोकेट** एवं प्रतिवादी की ओर से **पैरोकार सरकार, तहसीलदार, चौथ का बरवाडा** की उपस्थिति में इस वाद के आज ता0 02.02.2026 को **श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि** वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बलरिया, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर स्थित विवादित आराजी साबिक खसरा नंबर 510/1 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 512/1546 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 512/1547 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नंबर 512/1556 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 512/1549 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 05 कुल रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा के बने नवीन खसरा नंबर 950 रकबा 1.55 है0 में से 0.10 है0 व खसरा नंबर 1018 रकबा 5.45 है0 में से 1.00 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.10 है0 का कब्जे अनुसार खातेदार घोषित किया जाता है। एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाडा को आदेशित किया जाता है कि खसरा नंबर 950 रकबा 1.55 में से 0.10 है0 व खसरा नंबर 1018 रकबा 4.45 है0 में से 1.10 है0 किस्म गै0मु0 पठार की किस्म परिवर्तित करते हुए वादीगण के नाम राजस्व राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण के नाम आई उक्त भूमि में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से बाधा उत्पन्न नही करे। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें **X** रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर **X** प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित **X** द्वारा **X** को दी जाए। यह आज तारीख 02.02.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

<u>वाद के खर्च</u>

	वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसें
1	वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3	प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4	प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की [illegible]	00	
6	कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर [illegible]	00	
7	आदेशिका की तामील	00	00			
	जोड	00	00	जोड	00	00

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2026.03.06 11:34:12 IST
Reason: SelfAttested

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)